पूर्व मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास के घर पर ई.डी. की छापेमारी

रियल एस्टेट कंपनी के पैसों के ट्रांसफर का मामला

जयपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को जयपुर सहित देश के 19 अलग-अलग ठिकानों पर छापा मार रही है। वहीं कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के सिविल लाईन्स आवास पर भी ईडी ने छापा मारा। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे टीमें खाचरियावास के आवास पर पहुंच गई थीं। यह मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हुए 48 हजार करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर पीएसीएल में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। अधिकांश पैसा प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में लगा दिया गया।

- **ई.डी.से मिली जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर पी.ए.सी.एल. में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। अधिकांश पैसा प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में लगा दिया गया**
- **बड़ी संख्या में खाचरियावास समर्थकों ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी**

पूर्व मंत्री के घर छापेमारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जयपुर के सिविल लाइंस स्थित आवास पर समर्थक पहुंच गए। समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। मौके पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने पूर्व मंत्री के आवास के बाहर खड़ी समर्थक की गाड़ी को लेकर आपत्ति जताई। उसी गाड़ी पर खड़े होकर समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान समर्थकों की पुलिसकर्मियों से बहस भी हो गई। हालात को देखकर ईडी की टीम ने जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ और पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण (डीसीपी) दिगंत आनंद से बात की। इसके बाद मौके पर तीन थानों की पुलिस फोर्स भेजी गई। इस दौरान खाचरियावास भी आवास से बाहर आए और अपने समर्थकों को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। लाखों लोगों के साथ पीएसीएल में धोखाधड़ी हुई थी। इसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को सेवानिवृत्त सीजेआई आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कोर्ट ने कमेटी से कहा था कि पीएसीएल की संपत्तियों को नीलाम करके 6 महीने में लोगों को ब्याज सहित भुगतान करें।

सेबी के आकलन के अनुसार पीएसीएल की 1.86 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो निवेशकों की जमा राशि की तुलना में 4 गुना है। पीएसीएल कंपनी की योजनाओं को अवैध मानते हुए सेबी ने 22 अगस्त 2014 को कंपनी के कारोबार बंद कर दिए थे। इसके चलते निवेशकों की पूंजी कंपनी के पास जमा रह गई। इसके बाद कंपनी व सेबी के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सेबी जीत गई।

17 वर्ष तक राज्य में रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पीएसीएल में प्रदेश के 28 लाख लोगों ने करीब 2850 करोड़ और देश के 5.85 करोड़ लोगों ने कुल 49100 करोड़ का निवेश किया था। कंपनी पर बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, असम, कर्नाटक, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत आधे से ज्यादा राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले जयपुर में इसका खुलासा होने पर मामला दर्ज हुआ था। जानकार सूत्रों की मानें तो इस केस में प्रताप सिंह की भागीदारी करीब 30 करोड़ की बताई जा रही है। ईडी की छापेमारी पूरी होने के बाद ही रिकवरी को लेकर कुछ कहा जा सकता है।हालांकि अभी तक ईडी ने आधिकारिक रूप से कोई गिरफ्तारी नहीं की है।

कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस को संबोधित किया।

भाजपा सरकार के खिलाफ बोलते ही भेज देते हैं ई.डी. : खाचरियावास

जयपुर। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ईडी केंद्र के अधीन है। इस डबल इंजन की सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। मेरे परिवार के सदस्यों के यहां बेवजह सर्च चल रहा है। हम पूरा सर्च करवाएंगे। ईडी के अफसरों से हम पूरा सहयोग करेंगे। बीजेपी सरकार को मेरे बोलने से इतना दर्द है कि छापे डलवा दिए। मैं पिछले डेढ़ साल से इनके खिलाफ बोल रहा हूं। जो बीजेपी और उनकी सरकार के खिलाफ बोलता है। उसके घर ये ईडी भेज देते हैं। मैं बोल रहा था तो मुझे भी पहले से पता था कि ईडी तो एक दिन पहुंचेगी, यदि पहुंचेगी तो मैं भी तैयार हूं।

खाचरियावास ने बीजेपी नेताओं को चेतावनी देकर कहा कि बीजेपी के लोगों से कहना चाहूंगा आप ही सरकार में नहीं रहोगे। सरकारें बदलती रहती हैं। जमाना बदलेगा। आपने यह कार्रवाई शुरू की है, कल बीजेपी वालों के खिलाफ भी हम यही कार्रवाई करेंगे। डरते थोड़े ही हैं। मेरा नाम प्रताप सिंह खाचरियावास है। मुझे सबका इलाज करना आता है। अगर मेरे घर पर किसी ने गोली चलाई तो मैं भी उसके घर पर गोली चलाऊंगा। अब सड़कों पर उतरकर इसका बदला लिया जाएगा।

ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस आलाकमान हमलावर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस रेड को केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश बताया।

जहां भाजपा इस कार्रवाई को कानून के तहत उठाया गया जरूरी कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई मान रही है। खाचरियावास जैसे जमीनी नेता की जांच और पीएसीएल जैसे बड़े घोटाले के तार यदि सच में किसी राजनीतिक हस्ती से जुड़ते हैं, तो इसका असर राजस्थान की आगामी राजनीति पर गहरा पड़ सकता है।

कार्रवाई शुरू होने पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने घर के दरवाजे पर मीडिया से कहा कि आज यह ईडी की टीम उनके घर पर नहीं आई, बल्कि भाजपा के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय भैरोसिंह शेखावत के भाई के घर पर आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार विरोध की आवाज दबाना चाहती है। सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर ईडी भेजकर उनकी आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को शांत करते हुए कहा कि ईडी की टीम सर्च करने आई है। सर्च हो जाने दो ताकि देश को सच्चाई पता चले। प्रताप सिंह डबल इंजन की सरकार से डरता नहीं है। जब भैरोसिंह शेखावत के भाई के घर ईडी आ सकती है तो वह सरकार किसी की सगी नहीं हो सकती है। भाजपा डराना चाहती है,हम डरेंगे नहीं। अब तो प्रदेशभर में घूमकर सरकार के कारनामे उजागर करेंगे।

कांग्रेसी नेताओं द्वारा जांच एंजेसियों पर लगाए जा रहे आरोप निराधार : डॉ प्रेम चंद बैरवा

- **जांच एजेंसियों पर कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी पर भाजपा नेताओं ने दी तीखी प्रतिक्रियाएं**
- **आखिर संवैधानिक संस्थाओं से क्यों घबरा रहे हैं कांग्रेसी नेता : जवाहर सिंह बेढ़म**
- **ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से ना देखें कांग्रेसी : राजेंद्र राठौड़**

जयपुर। भाजपा नेताओं और भजनलाल सरकार के मंत्रियों ने ईडी द्वारा प्रताप सिंह खाचरियावास के घर जांच के बाद नारेबाजी और इस मामले को राजनीति रूप तूल देने के मामले को कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता का परिचायक बताया। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस नेता प्रताप खाचरियावास के आवास पर ईडी की छापेमारी पर कहा कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा जांच एंजेसियों पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। यह स्वतंत्र एजेंसियां होती हैं, अगर कुछ होगा तो सामने आ जाएगा और नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने देश में घृणा और विद्वेष की राजनीति को बढ़ावा दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, वह न सिर्फ प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अनादर है, बल्कि उनकी स्वयं की बौखलाहट का परिचायक भी है।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इस प्रकरण पर कहा कि सरकार की एजेंसियां किसी विषय को लेकर जांच करती हैं, तो किसी भी जनप्रतिनिधि को या किसी भी व्यक्ति को उसको राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। आज के प्रकरण के अनुसार कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह के यहां ईडी का सर्च अभियान हुआ। यदि किसी विषय को लेकर एजेंसी जांच कर रही है तो उस पर देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को टारगेट करके नारेबाजी करवाना कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस के नेताओं को इस तरीके के बयान बाजी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की बयान बाजी से कोई जांच कहीं नहीं रुकती है, एजेंसियां जांच स्वतंत्र रूप से करेंगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ईडी की कार्यवाही निष्पक्षता से होती है, आदरणीय भैंरो सिंह शेखावत का नाम जोड़ना निंदनीय हैं, गलत है, एजेंसियां दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। इसमें उन्हें सहयोग करना चाहिए। किसी पार्टी का नाम लेना गलत है। हालांकि यह कांग्रेसी नेताओं की आदत है जिस पर भी ईडी की कार्यवाही होती है वह यही कहता है कि राजनीतिक कारणों की वजह से हुई है, लेकिन तथ्य तो सामने आने वाले हैं, मेरा कहना है कि हम ईमानदार हैं तो डर क्यों रहे है। कुछ मिलेगा तो ही टारगेट करेंगे ना, कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या टारगेट करेंगे। इसका अर्थ यह है कि उनके द्वारा कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि ईडी कार्यवाही कर रहा है तो इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जांच एंजेसियों को जांच में सहयोग करना चाहिए। हालांकि स्वतंत्र भारत का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिनमें कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार के हित के लिए भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बार-बार तोड़ा-मरोड़ा है, इसका दुरूपयोग किया था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किस तरह अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ-साथ मीडिया और दूसरी संस्थाओं का दमन किया, वह इतिहास के पन्नों में कैद है। राठौड़ ने सवाल उठाया कि डोटासरा का 'स्लीपर सेल' पर बयान क्या पार्टी के भीतर चल रही अंतर्कलह का संकेत है? क्या यह इशारा किसी विशेष गुट की ओर है जो संगठन को कमजोर कर रहा है?

मौसम परिवर्तन के कारण सवाईमानसिंह अस्पताल के आउटडोर धनवंतरि में मौसमी बीमारियों के मरीजों की भीड़ लगी रही।

आयोग में सदस्य नियुक्ति का रास्ता साफ, यथास्थिति का आदेश समाप्त

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मामले में अंतरिम राहत के रूप में दिया गया यथास्थिति का आदेश भी समाप्त हो गया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पवन कुमार भारद्वाज की याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि आवेदन पत्र में तय अवधि तक ही संशोधन किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि भर्ती के बीच नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि याचिकाकर्ता को किसी शर्त को लेकर शिकायत थी तो उसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उस पर सवाल उठाना चाहिए था।

याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने 20 दिसंबर, 2024 को राज्य उपभोक्ता आयोग के सात पदों और जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्यों के 80 पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने सदस्य पद के लिए आवेदन किया, लेकिन इस दौरान गलती से पहली वरीयता में जिला आयोग और दूसरी वरीयता में राज्य आयोग का चयन हो गया। इस पर याचिकाकर्ता ने साक्षात्कार से पूर्व वरीयता में संशोधन के लिए विभाग में अभ्यावेदन पेश किया। वहीं गत 9 नवंबर को जारी परिणाम में याचिकाकर्ता ने मेरिट में उच्च स्थान प्राप्त किया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से वरीयता बदलने के संबंध में पेश अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि नियमानुसार आवेदन में अंतिम तिथि 20 दिसंबर, 2024 के बाद संशोधन नहीं हो सकता था। लिखित परीक्षा का गत 30 जनवरी को परिणाम जारी होने पर याचिकाकर्ता को मेरिट में रहने की जानकारी हो गई थी। ऐसे में उसने 3 फरवरी को कैटेगरी बदलने की कोशिश की। वहीं मेरिट के आधार पर उसे नियुक्त किया जा चुका है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है।

भाजपा प्रदेश प्रभारी आज लेंगे कोर सदस्यों की बैठक

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी, सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में वक्फ जागरूकता कमेटी, भाजपा कोर कमेटी के साथ वक्फ जन जागरण अभियान की बैठक लेंगे। भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने बताया कि भाजपा प्रदेश प्रभारी मंगलवार शाम जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद बुधवार को सुबह 11 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में वक्फ जागरूकता कमेटी की बैठक लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, डॉ प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, राव राजेंद्र सिंह शेखावत और विधायकों के साथ कमेटी संयोजक, सह संयोजकों के साथ वार्ता करेंगे।

राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आज

- **मुख्यमंत्री आरपीए ग्राउंड में लेंगे परेड की सलामी, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए देंगे पुलिस पदक**

जयपुर। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शर्मा सेरेमोनियल परेड की सलामी लेंगे तथा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक व पुलिस पदक प्रदान करेंगे। इस समारोह के बाद आरपीए में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। शाम को जवाहर सर्किल पर पुलिस बैंड का डिस्प्ले होगा। समस्त आयोजनों के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह आरपीए में बुधवार सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा आरपीए में पहुंच शहीद स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद परेड ग्राउंड पर मुख्य समारोह का आयोजन होगा। शर्मा परेड का अभिवादन स्वीकार कर निरीक्षण करेंगे। तत्पश्चात सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को पारितोषिक एवं मेडल प्रदान किया जाएगा।

साहू ने बताया कि आरपीए के परेड ग्राऊंड में आयोजित होने वाली सेरेमोनियल परेड में राजस्थान पुलिस अकादमी, चतुर्थ एवं पांचवी बटालियन आरएसी, हाड़ी रानी बटालियन, एसडीआरएफ, जीआरपी, एमबीसी एवं ईआरटी की एक-एक प्लाटून के अलावा जयपुर पुलिस आयुक्तालय की तीन प्लाटून (निर्भया स्कवॉड प्लाटून, पुलिसकर्मी प्लाटून और यातायात प्लाटून) भाग लेंगी। सेरेमोनियल परेड में आरपीए के सेन्ट्रल बैंड की भागीदारी होगी।

डीजीपी साहू ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह के मौके पर आरपीए की डिस्पेंसरी में आयोजित रक्तदान शिविर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रक्तदान किया जाएगा।

डीजीपी साहू ने बताया कि इस समारोह के बाद शाम 7 बजे से जयपुर में जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट पर पुलिस बैंड की मनोहारी प्रस्तुति होगी। इसमें राजस्थान पुलिस कें सैन्ट्रल बैंड, हाड़ी रानी बटालियन और ब्रास बैंड द्वारा स्वर लहरियां बिखेरते हुए राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के गौरव का प्रदर्शन किया जाएगा।

वाणिज्यिक न्यायालय के 40 लाख रुपए के जुर्माने पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड और यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के बीच शराब खरीद के भुगतान से जुड़े मामले में कमर्शियल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अदालत ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। कमर्शियल कोर्ट, द्वितीय ने 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए 20 लाख रुपए की राशि राज्य के समेकित कोष और 20 लाख रुपए रजिस्ट्रार जनरल के जरिए हाईकोर्ट के पक्षकार कल्याण कोष में जमा कराने को कहा था।

अपील में वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर गुप्ता और अधिवक्ता विजय चौधरी ने खंडपीठ को बताया कि कमर्शियल कोर्ट ने आर्बिट्रेटर एक्ट के प्रावधान के क्षेत्राधिकार के परे जाकर यह आदेश दिया है। अदालत ने जो तथ्य रिकॉर्ड पर ही नहीं थे, उसे लेकर आदेश दे दिए। वहीं धारा 34 में जुर्माने का प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में कमर्शियल कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कमर्शियल कोर्ट के आदेश पर जुर्माने की हद तक रोक लगा दी है। मामले में यूनाइटेड स्पिरिट्स ने आर्बिट्रेटर के समक्ष वाद दायर कर कहा कि आरएसबीसीएल ने शराब खरीद को लेकर उसके 9.11 करोड रुपए का भुगतान रोक लिया है। ऐसे में उसे यह राशि दिलाई जाए। आर्बिट्रेटर ने यूनाइटेड स्पिरिट्स के पक्ष में निर्णय देते हुए यह राशि लौटाने के आदेश देने के साथ ही आरएसबीसीएल पर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस आदेश को आरएसबीसीएल ने कमर्शियल कोर्ट में चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि यूनाइटेड स्पिरिट्स ने सीमा शुल्क में कमी की जानकारी छुपाई और 13.61 करोड रुपए से अधिक का लाभ उठाया। कमर्शियल कोर्ट ने मामले में गत दिनों सुनवाई करते हुए आर्बिट्रेटर के अवार्ड पर रोक लगाते हुए यूनाइटेड स्पिरिट्स पर 40 लाख रुपए का हर्जाना लगाया था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में शराब खरीद घोटाले की आशंका जताते हुए प्रकरण को मुख्य सचिव को भेजा था। अदालत ने कहा था कि मामले की सीएजी से विशेष ऑडिट कराई जाए और आवश्यकता होने पर सीबीआई या एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर दर्ज करवा कर जांच करवाई जाए।

नामी कम्पनियों के नकली उत्पाद बनाने के मामले में सात गिरफ्तार

जयपुर। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने नामी कम्पनियों के नकली उत्पाद बनाकर बाजार में बेचने के मामले में सात आरोपियों को अरेस्ट किया है। बदमाश सर्फ एक्शल, माहेश्वरी चाय सहित अन्य के नकली उत्पाद बनाकर पैंकिंग कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई कर इस काम में ली जा रही 3 मशीनों को भी जब्त किया है। पुलिस ने नकली पैकेट तैयार करने के लिए काम में ली जा रही 6 डाई, रोल सहित अन्य सामान भी जब्त किया है।

- **बदमाश सर्फ एक्शल, माहेश्वरी चाय सहित अन्य के नकली उत्पाद बनाकर पैंकिंग कर रहे थे**

डीसीपी पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि जयपुर शहर केऔद्योगिक क्षेत्रों में स्थित फैक्ट्रियो में काफी मात्रा मे विभिन्न नकली उत्पादों के निर्माण की सूचना मिल रही थी। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा विश्वकर्माऔद्योगिक क्षेत्र के बढारणा एरिया में वाशिंग ब्राण्ड सर्फ एक्सल का नकली लेबल लगाकर व इसके साथ अन्य नकली उत्पाद बनाने की सूचना मिलने पर टीम कार्रवाई कर 7 अभियुक्तणों को गिरफ्तार करने एवं भारी मात्रा मे नकली उत्पाद तथा नकली उत्पाद बनाने वाली 3 मशीनों को जब्त किया है।

कार्यवाही के दौरान सफ्फ एक्सल वाशिंग पाउडर के पैकेजिंग रॉल के कुल 54 बन्डल, 500 ग्राम सर्फ एक्सल वाशिंग पाउडर पैकेजिग करने के खाली पाउच कुल 2600 किलो, रोज गोल्ड चाय के प्लास्टिक के कट्टे, माहेश्वरी ब्राण्ड चाय के 250 -250 ग्राम चाय के भरे प्लास्टिक के पैकेट 20, माहेश्वरी ब्राण्ड चाय के 500-500 ग्राम के खाली प्लास्टिक के पैकेट, माहेश्वरी ब्राण्ड चाय 250-250 ग्राम के खाली पैकेट जप्त किए गए। इस मामले में गोविन्द शर्मा निवासी नायन अमरसर, केसर सिंह उर्फ मोनू निवासी गांव गढ़ पोस्ट बिंजारी हाल बढ़ारणा, तेजपाल सैनी निवासी गांव मेड विराटनगर हाल न्यूलोहा मण्डी रोड, लखन सिंह राजपुत निवासी गांव गढ राजगढ हाल बढ़ारणा, सतपाल सिंह उर्फ पिन्टू निवासी बढ़ारणा, मुकेश कुमार निवासी कोटपुतली और विजेन्द्र सिंह निवासी दीपपुरा, टोडी को अरेस्ट किया है।

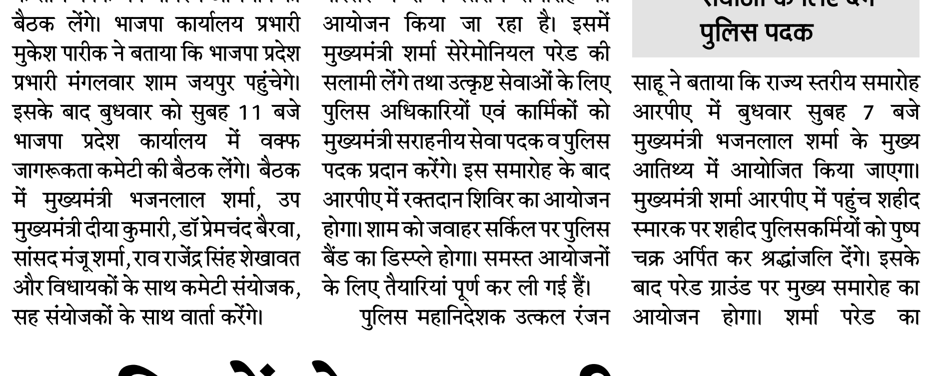

विश्वकर्मा थाना पुलिस ने नामी कम्पनियों के नकली उत्पाद बनाकर बाजार में बेचने के मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

एकल पट्टा मामले में पाठक को पक्षकार बनाने के मुद्दे पर बहस पूरी

- **अदालत अब बुधवार को राज्य सरकार की रिवीजन याचिका में दोनों पक्षों को सुनेगी**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुडे चर्चित एकल पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थी रहे अशोक पाठक को पक्षकार बनाए जाने के मुद्दे पर बहस पूरी हो गई। बहस पूरी होने पर सीजे एमएम श्रीवास्तव ने फैसला बाद में देना तय किया। वहीं अदालत अब बुधवार को राज्य सरकार की रिवीजन याचिका में दोनों पक्षों को सुनेगी।

मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित अन्य के अधिवक्ताओं ने अशोक पाठक को पक्षकार बनाए जाने का विरोध किया। उनकी ओर से कहा गया कि आपराधिक मामले में किसी तीसरे पक्ष को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। वहीं पाठक की ओर से अधिवक्ता वागीश सिंह ने कहा कि मामला भ्रष्टाचार से जुडा है और यह अपराध किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, बल्कि समाज के खिलाफ होता है। ऐसे में उन्हें मामले में पक्षकार बनने का अधिकार है। इस पर सीजे ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अशोक पाठक को सुना है। वहीं अदालत ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल राज्य सरकार ने इस मामले में दो अर्जियां दायर की हैं। इनमें कहा है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर क्लोजर रिपोर्ट्स अधूरी व दोषपूर्ण साक्ष्यों पर की गई जांच के आधार पर थी। इसके चलते ही पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट दी गई थी। इसकी जांच के लिए गठित हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएस राठौड की कमेटी ने भी मामले की समीक्षा कर दी रिपोर्ट कई गंभीर खामियां बताई थी। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने में गंभीर चूक हुई थी। इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेजों और ठोस सबूतों की अनदेखी की गई है। वहीं दूसरी अर्जी में कहा गया कि राज्य सरकार पूर्व सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के प्रार्थना पत्र को एसीबी कोर्ट की ओर से खारिज करने पर पेश रिवीजन को वापस लेना चाहती है।